



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./जोन-13/2022/डी- 4567

दिनांक:- 7/7/22

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर भूखण्ड का पट्टा/नामहस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है :-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.ग.) में	नाम/पता	समिति का नाम	योजना का नाम	नामहस्तांतरण/लीज डीड/फी होल्ड लीजडीड/अन्य
1.	बी-2/483	40.00 व.मी.	श्रीमती पुष्पा रानी पत्नी स्व. श्री जगदीश लाल पंजाबी	जविप्रा	ट्रांसपोर्ट नगर योजना द्वितीय फेज	नामहस्तांतरण
2.	5	124.72 व.ग.	श्री कृष्ण अवतार गुप्ता	जय चामुण्डा गृ. नि.स.समिति	सरदार सिंह नगर	उपविभाजन/ नामहस्तांतरण/फी होल्ड लीजडीड
3.	5ए	125.18 व.ग.	श्री सुरेश कुमार गुप्ता	जय चामुण्डा गृ. नि.स.समिति	सरदार सिंह नगर	उपविभाजन/ नामहस्तांतरण/फी होल्ड लीजडीड

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना का प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

Sd/

उपायुक्त, जोन-13
ज.वि.प्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:-

- परामर्शी (जनसम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली।

cy

उपायुक्त, जोन-13
ज.वि.प्रा, जयपुर

जयपुर-843
8/7/22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:एफ(ग्राम झाँई आई.डी. 1069) जविप्रा/उपा/जोन-11/2022/डी -1893 दिनांक 07/7/22

विज्ञप्ति/सूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण की सेज पुनर्वास योजनाओं के आवेदकों द्वारा अपनी सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के लिए आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की वेबसाइट/नागरिक सेवा केन्द्र/एकल खिडकी/नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। इस संबंध में अपना आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 07 दिवस में वह मय दस्तावेज प्रस्तुत करें।

ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक	आरक्षण पत्र का विवरण	भूखण्ड का विवरण	आवेदक	आपत्तियां प्राप्त करने का कारण
98698	ग्राम झाँई के खसरा नम्बर 589, 597, 600, 602, 598 अवाप्त क्षेत्रफल 12500 वर्गमीटर भूमि अवाप्त कर अवाप्त भूमि के बदले 25 प्रतिशत विकसित भूमि क्षेत्रफल 3125 वर्गमीटर (आवासीय 2500 वर्गमीटर एवं व्यावसायिक 625 वर्गमीटर) भूमि का आरक्षण पत्र जोन के पत्र क्रमांक डी-33 दिनांक 23.4.2012 के द्वारा श्री रुपनारायण पुत्र श्री भूरा को जारी किया गया था।	ग्राम झाँई के आवासीय भूखण्ड संख्या 89 क्षेत्रफल 150 वर्गमीटर	श्री प्रभूदयाल अग्रवाल पुत्र श्री बाबूलाल अग्रवाल	मूल आरक्षण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण

प्रतिलिपि: जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

उपायुक्त जोन-11

जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन-11

जविप्रा, जयपुर

उपायुक्त जोन-11

जविप्रा, जयपुर

ज.वि.प्रा., जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - {+91-141-2574798} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {7402}: फैक्स - +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:एफ(ग्राम बगरुखुर्द आई.डी. जी-2-104)जविप्रा/उपा/जोन-11/2022/डी-1894 दिनांक 07/7/22

विज्ञप्ति/सूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण की सेज पुनर्वास योजनाओं के आवेदकों द्वारा अपनी सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के लिए आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की वेबसाइट/नागरिक सेवा केन्द्र/एकल खिडकी/नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। इस संबंध में अपना आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 07 दिवस में वह मय दस्तावेज प्रस्तुत करें।

ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक	आरक्षण पत्र का विवरण	भूखण्ड का विवरण	आवेदक	आपत्तियां प्राप्त करने का कारण
108597	ग्राम बगरुखुर्द तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 644, 645, 647 अवाप्त क्षेत्रफल 15566 वर्गमीटर भूमि अवाप्त कर अवाप्त भूमि के बदले 25 प्रतिशत विकसित भूमि क्षेत्रफल 3891 वर्गमीटर (आवासीय 3113 वर्गमीटर एवं व्यावसायिक 778 वर्गमीटर) भूमि का आरक्षण पत्र क्रमांक डी-223 दिनांक 2.3.2009 के द्वारा श्री झाबर सिंह पुत्र श्री बलदेवराम को जारी किया गया था।	ग्राम टीलावास के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 770-सी क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर	श्री अनुपम सोमानी पुत्र स्व. श्री रतन लाल सोमानी	मूल आरक्षण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण

उपायुक्त जोन-11

जयपुर, जयपुर

उपायुक्त जोन-11

ज.वि.प्रा., जयपुर

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

उपायुक्त जोन-11

जयपुर, जयपुर

ज.वि.प्रा., जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-2574798) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (7402): फैक्स - +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-11/2022/डी-1881

दिनांक 07/7/22

सार्वजनिक सूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित योजना के आवेदक द्वारा अपनी संपत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के लिए आवेदन प्रस्तुत किए हैं। जिनका विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की वेबसाइट/नागरिक सेवा केन्द्र/एकल खिड़की/नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। इस संबंध में अपना आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 7 दिवस में वह मय दस्तावेज प्रस्तुत करे।

लीजडीड धारक का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	योजना का नाम	आपत्तियां प्राप्त करने का कारण
श्रीमती रेखा बंसल पत्नी श्री अशोक बंसल	सी-466	275.00	अनुपम विहार	श्री अशोक बंसल पुत्र श्री नन्दलाल बंसल की मृत्यु दिनांक 07.05.2021 को मृत्यु होने पर पत्नी के नाम पुत्री तथा पुत्र द्वारा हकत्याग कर नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत।

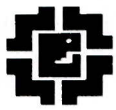
उक्त विज्ञप्ति आज दिनांक 07/7/22 मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई है।

प्रतिलिपि:-

- ✓ जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक लोक सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में जविप्रा, जयपुर के स्तर से करवाकर समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध करावें।

उपायुक्त जोन-11
जविप्रा, जयपुर
ज.वि.प्रा., जयपुर

उपायुक्त जोन-11
जविप्रा, जयपुर
उपायुक्त जोन-11
ज.वि.प्रा., जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:एफ(ग्राम पालडी परसा आई.डी. 202) जविप्रा/उपा/जोन-11/2022/डी 1886 दिनांक 07/7/22

विज्ञप्ति/सूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण की सेज पुनर्वास योजनाओं के आवेदकों द्वारा अपनी सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के लिए आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की वेबसाईट/नागरिक सेवा केन्द्र/एकल खिडकी/नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। इस संबंध में अपना आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 07 दिवस में वह मय दस्तावेज प्रस्तुत करें।

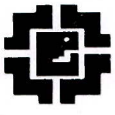
ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक	आरक्षण पत्र का विवरण	भूखण्ड का विवरण	आवेदक	आपत्तियां प्राप्त करने का कारण
105239	ग्राम पालडी परसा के खसरा नम्बर 905 से 911, 921, 924, 925, 934, 963, 964 अवाप्त क्षेत्रफल 6737 वर्गमीटर भूमि अवाप्त कर अवाप्त भूमि के बदले 25 प्रतिशत विकसित भूमि आवासीय 1347 वर्गमीटर एवं व्यावसायिक 337 वर्गमीटर कुल क्षेत्रफल 1684 वर्गमीटर भूमि का आरक्षण पत्र क्रमांक डी-92 दिनांक 18.7.2007 के द्वारा श्री रामू पुत्र श्री घासी को जारी किया गया था।	ग्राम पालडी परसा के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस-603-सी क्षेत्रफल 18 वर्गमीटर	श्रीमती स्वाती माहेश्वरी पत्नी श्री राहुल माहेश्वरी	मूल आरक्षण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण

उपायुक्त, जोन-11
जयपुर, जयपुर

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

उपायुक्त, जोन-11
जयपुर, जयपुर
उपायुक्त, जोन-11
ज.वि.प्रा., जयपुर

PRO/R-848
8/7/22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:एफ(ग्राम नेवटा आई.डी. 517)जविप्रा/उपा/जोन-11/2022/डी-1885 दिनांक 07/7/22

विज्ञप्ति/सूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण की सेज पुनर्वास योजनाओं के आवेदकों द्वारा अपनी सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के लिए आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की वेबसाइट/नागरिक सेवा केन्द्र/एकल खिडकी/नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। इस संबंध में अपना आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 07 दिवस में वह मय दस्तावेज प्रस्तुत करें।

ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक	आरक्षण पत्र का विवरण	भूखण्ड का विवरण	आवेदक	आपत्तियां प्राप्त करने का कारण
105329	ग्राम नेवटा के खसरा नम्बर 1049, 1050 अवाप्त क्षेत्रफल 16100 वर्गमीटर भूमि अवाप्त कर अवाप्त भूमि के बदले 25 प्रतिशत विकसित भूमि क्षेत्रफल 4025 वर्गमीटर (आवासीय 3220 वर्गमीटर एवं व्यावसायिक 805 वर्गमीटर) भूमि का आरक्षण पत्र क्रमांक डी-65 दिनांक 3.11.2006 के द्वारा श्रीमती रामेश्वरी पत्नी श्री प्रभूदयाल, संतोष पत्नी श्री रमेश, सुमन पत्नी श्री नरेश, निशा पत्नी श्री दिनेश को जारी किया गया था।	ग्राम पालडी परसा के आवासीय भूखण्ड संख्या 1261-सी क्षेत्रफल 900 वर्गमीटर	श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री नन्द किशोर अग्रवाल	मूल आरक्षण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण

उपायुक्त जोन-11

जविप्रा, जयपुर
ज.वि.प्रा., जयपुर

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

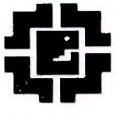
उपायुक्त जोन-11

जविप्रा, जयपुर
उपायुक्त जोन-11
ज.वि.प्रा., जयपुर

प्रति 849
8/7/22

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - {+91-141-2574798} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {7402} फैक्स - +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:एफ(ग्राम बगरुखुर्द आई.डी. जी-2-104)जविप्रा/उपा/जोन-11/2022/डी-1883 दिनांक 07/7/22

विज्ञप्ति/सूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण की सेज पुनर्वास योजनाओं के आवेदकों द्वारा अपनी सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के लिए आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की वेबसाइट/नागरिक सैवा केन्द्र/एकल खिडकी/नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। इस संबंध में अपना आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 07 दिवस में वह भय दस्तावेज प्रस्तुत करें।

ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक	आरक्षण पत्र का विवरण	भूखण्ड का विवरण	आवेदक	आपत्तियां प्राप्त करने का कारण
108595	ग्राम नेवटा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 97, 98, 130, 1034, 1035, 1051, 1052, 1075 अवाप्त क्षेत्रफल 30100 वर्गमीटर भूमि अवाप्त कर अवाप्त भूमि के बदले 25 प्रतिशत विकसित भूमि क्षेत्रफल 7525 वर्गमीटर (आवासीय 6020 वर्गमीटर एवं व्यावसायिक 1505 वर्गमीटर) भूमि का आरक्षण पत्र क्रमांक डी-940 दिनांक 12.4.2007 के द्वारा श्री कालूराम पुत्र श्री लालाराम बैरवा को जारी किया गया था।	ग्राम टीलावास के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 835-सी क्षेत्रफल 27 वर्गमीटर	श्री अनुपम सोमानी पुत्र स्व. श्री रतन लाल सोमानी	मूल आरक्षण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण

उपायुक्त जोन-11
जयपुर जयपुर जोन-11
ज.वि.प्रा., जयपुर

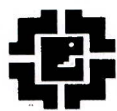
प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

क्रमांक-850
07/7/22

उपायुक्त जोन-11
जयपुर जयपुर जोन-11
ज.वि.प्रा., जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-2574798) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {7402} फैक्स - +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:एफ(ग्राम नेवटा आई.डी. जी-2-100)जविप्रा/उपा/जोन-11/2022/डी-1882 दिनांक 07/7/22

विज्ञप्ति/सूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण की सेज पुनर्वास योजनाओं के आवेदकों द्वारा अपनी सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के लिए आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की वेबसाइट/नागरिक सेवा केन्द्र/एकल खिडकी/नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। इस संबंध में अपना आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 07 दिवस में वह मय दस्तावेज प्रस्तुत करें।

ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक	आरक्षण पत्र का विवरण	भूखण्ड का विवरण	आवेदक	आपत्तियां प्राप्त करने का कारण
97417	ग्राम नेवटा में अवाप्त भूमि खसरा नम्बर 206, 207, 218 क्षेत्रफल 1818 वर्गमीटर के बदले देय आवासीय 1455 वर्गमीटर व व्यावसायिक 363 वर्गमीटर कुल 1818 वर्गमीटर का आरक्षण पत्र क्रमांक 03 दिनांक 13.1.2007 के द्वारा शांति नगर हाउसिंग कॉलोनी जरिये पार्टनर श्री आलोक गुप्ता पुत्र श्री अरविन्द गुप्ता को जारी किया गया था।	ग्राम टीलावास के आवासीय भूखण्ड संख्या 1364 क्षेत्रफल 150 वर्गमीटर	शांति नगर हाउसिंग कॉलोनी जरिये पार्टनर श्री आलोक गुप्ता पुत्र श्री अरविन्द गुप्ता	मूल आरक्षण पत्र गुम होने के संबंध में एफ.आई.आर. दर्ज कराये जाने के कारण

उपायुक्त जोन-11

जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन-11

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

उपायुक्त जोन-11

जविप्रा, जयपुर।

ज.वि.प्रा., जयपुर

र. 851
8/7/22

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - {+91-141-2574798} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {7402}: फैक्स - +91-141-2574555

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-जविप्रा/उपा/जोन-11/90ख/2022/डी-1887

दिनांक 07/7/22

सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खातेदार विजय आशीष स्ट्रील्स प्रा.लि. पंजीकृत कार्यालय एफ-7, गोविन्दम काम्पलेक्स, संसारचन्द रोड, जयपुर जरिये निदेशक श्री नटवर लाल शारदा द्वारा ग्राम दहमीकंला तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 1738 रकबा 0.32 हैक्ट. ख.नं. 1739 रकबा 0.24 हैक्ट. ख.नं. 1740/1 रकबा 0.11 हैक्ट. ख.नं. 1746/1 रकबा 0.06 हैक्ट. ख.नं. 1747/1 रकबा 0.20 हैक्ट. ख.नं. 1748 रकबा 0.18 हैक्ट. ख.नं. 1749 रकबा 0.30 हैक्ट. किता 7 रकबा 1.41 हैक्ट. में रिसोर्ट हेतु जारी 90ख को पुनः अकृषि से कृषि प्रयोजनार्थ किये जाने हेतु जोन कार्यालय में आवेदन किया गया है।

ग्राम दहमीकंला तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 1738 रकबा 0.32 हैक्ट. ख.नं. 1739 रकबा 0.24 हैक्ट. ख.नं. 1740/1 रकबा 0.11 हैक्ट. ख.नं. 1746/1 रकबा 0.06 हैक्ट. ख.नं. 1747/1 रकबा 0.20 हैक्ट. ख.नं. 1748 रकबा 0.18 हैक्ट. ख.नं. 1749 रकबा 0.30 हैक्ट. किता 7 रकबा 1.41 हैक्ट. भूमि का रिसोर्ट प्रयोजनार्थ राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-ख के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 18.6.2010 को पारीत किया गया था। प्रकरण में 90ख की कार्यवाही किये हुये 1 वर्ष से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है। अतः प्रकरण में जविप्रा, जयपुर की बी.पी.सी.(एल.पी.) की 297वी बैठक दिनांक 15.3.2021 के नीतिगत निर्णय की अनुपालना में सार्वजनिक लोक सूचना का प्रकाशन किया जा रहा है।

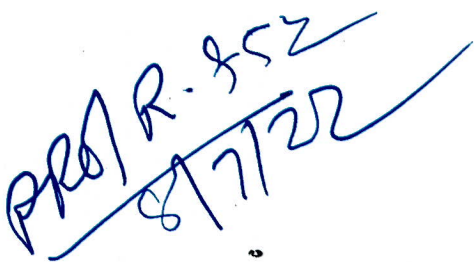
अतः ग्राम दहमीकंला तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 1738 रकबा 0.32 हैक्ट. ख.नं. 1739 रकबा 0.24 हैक्ट. ख.नं. 1740/1 रकबा 0.11 हैक्ट. ख.नं. 1746/1 रकबा 0.06 हैक्ट. ख.नं. 1747/1 रकबा 0.20 हैक्ट. ख.नं. 1748 रकबा 0.18 हैक्ट. ख.नं. 1749 रकबा 0.30 हैक्ट. किता 7 रकबा 1.41 हैक्ट. रिसोर्ट प्रयोजनार्थ जारी निर्णय को निरस्त कर पुनः अकृषि से कृषि भूमि किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में अपनी लिखित आपत्ति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 07/7/22 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
उपायुक्त जोन-11
ज.वि.प्रा., जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक लोक सूचना का राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में आठ की फोन्ट साईट में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्र की एक प्रति कार्यालय को उपलब्ध करावें।
- विजय आशीष स्ट्रील्स प्रा.लि. पंजीकृत कार्यालय एफ-7, गोविन्दम काम्पलेक्स, संसारचन्द रोड, जयपुर जरिये निदेशक श्री नटवर लाल शारदा को सूचनार्थ प्रेषित है।


R-852
07/7/22


प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
उपायुक्त जोन-11
ज.वि.प्रा., जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-जविप्रा/उपा/जोन-11/90ख /2022/डी- 1888

दिनांक 07/7/22

सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खातेदार आयुष लैण्ड डवलपर्स प्रा.लि. 25 कि.मी. एन.एच.-8, ग्राम हरध्यानपुरा, तहसील सांगानेर जयपुर जरिये निदेशक श्री संजय बाहेती द्वारा ग्राम दहमीकला तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 1736 रकबा 0.29 हैक्ट. ख.नं. 1737 रकबा 0.51 हैक्ट. ख.नं. 1740 रकबा 0.37 हैक्ट. ख.नं. 1741 रकबा 0.04 हैक्ट. ख.नं. 1746 रकबा 0.10 हैक्ट. ख.नं. 1747 रकबा 0.26 हैक्ट. ख.नं. 2237 रकबा 0.91 हैक्ट. किता 7 रकबा 2.48 हैक्ट. में रिसोर्ट हेतु जारी 90ख को पुनः अकृषि से कृषि प्रयोजनार्थ किये जाने हेतु जोन कार्यालय में आवेदन किया गया है।

ग्राम दहमीकला तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 1736 रकबा 0.29 हैक्ट. ख.नं. 1737 रकबा 0.51 हैक्ट. ख.नं. 1740 रकबा 0.37 हैक्ट. ख.नं. 1741 रकबा 0.04 हैक्ट. ख.नं. 1746 रकबा 0.10 हैक्ट. ख.नं. 1747 रकबा 0.26 हैक्ट. ख.नं. 2237 रकबा 0.91 हैक्ट. किता 7 रकबा 2.48 हैक्ट. भूमि का रिसोर्ट प्रयोजनार्थ राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-ख के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 18.6.2010 को पारीत किया गया था। प्रकरण में 90ख की कार्यवाही किये हुये 1 वर्ष से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है। अतः प्रकरण में जविप्रा, जयपुर की बी.पी.सी.(एल.पी.) की 297वी बैठक दिनांक 15.3.2021 के नीतिगत निर्णय की अनुपालना में सार्वजनिक लोक सूचना का प्रकाशन किया जा रहा है।

अतः ग्राम दहमीकला तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 1736 रकबा 0.29 हैक्ट. ख.नं. 1737 रकबा 0.51 हैक्ट. ख.नं. 1740 रकबा 0.37 हैक्ट. ख.नं. 1741 रकबा 0.04 हैक्ट. ख.नं. 1746 रकबा 0.10 हैक्ट. ख.नं. 1747 रकबा 0.26 हैक्ट. ख.नं. 2237 रकबा 0.91 हैक्ट. किता 7 रकबा 2.48 हैक्ट. रिसोर्ट प्रयोजनार्थ जारी निर्णय को निरस्त कर पुनः अकृषि से कृषि भूमि किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में अपनी लिखित आपत्ति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 07/7/22 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
ज.वि.प्रा., जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक लोक सूचना का राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में आठ की फोन्ट साईट में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्र की एक प्रति कार्यालय को उपलब्ध करावे।
2. आयुष लैण्ड डवलपर्स प्रा.लि. 25 कि.मी. एन.एच.-8, ग्राम हरध्यानपुरा, तहसील सांगानेर जयपुर जरिये निदेशक श्री संजय बाहेती को सूचनार्थ प्रेषित है।

PRD R-853
8/7/22


प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
ज.वि.प्रा., जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-9/2022/डी- 5898

दिनांक- 7/2/22

सार्वजनिक सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भू.सं.	क्षेत्रफल व.ग.	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	294	150.00	अशोक विहार (शिव शंकर गृ.नि. स.स.)	श्री सेडराम मीना पुत्र स्व. श्री रामलाल मीणा	श्री सेडराम मीना पुत्र स्व. श्री रामलाल मीणा	सदस्यता सूची में नाम नहीं होने के कारण।

उक्त भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण जारी करने में किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-9 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-9
जयपुर
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपी-

- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-9
जयपुर
जविप्रा, जयपुर

प्रो/र-954
8/7/22

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय): फेक्स- +91-141-2574555

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक : जविप्रा/जोन-9/2022/डी- 3904

दिनांक 08-7-2022

सहायक निदेशक (जन सम्पर्क)

जयपुर विकास प्राधिकरण,

जयपुर।

विषय:- 90ए की लोक सूचना प्रकाशन के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण 90ए (Suomoto) की लोक सूचना संलग्न प्रारूप अनुसार लोक सूचना 08 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन कराया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति जोन कार्यालय में उपलब्ध कराने का श्रम करें।

संलग्न:-लोक सूचना

प्रमाणित अधिकारी जोन-9
उपायुक्त जोन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण,

जयपुर।

प्रमाणित
8/7/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

संख्या... 3904

दिनांक... 08.07.2022

प्रशासन शहरो के संग अभियान 2021 के अन्तर्गत

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारी/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपटित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही निम्नांकित खातेदारो की खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपटित धारा 90ए(5) एवं सपटित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

क्र. सं.	ग्राम का नाम मय तहसील	सहकारी समिति का नाम	योजना का नाम	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टे. मे)	खातेदार का नाम
1.	जगतपुरा तह. सांगानेर	शिव शंकर हाउसिंग कॉ. सो.लि.	अशोक विहार	324 325	0.01 0.07 — कुल रकबा 0.08	कैलाश पुत्र गिरधारी हि. 1/48, कालुराम पुत्र भैरु हि. 1/32, गुल्ला पुत्र पुरा हि. 1/4, छीतरगल पुत्र भैरु हि. 1/32, जगदीश नारायण पुत्र गिरधारी हि. 1/48, नाथुलाल पुत्र गंगल्या हि. 1/8, प्रदीप कुमार उर्फ छोटया पुत्र गिरधारी हि. 1/48, प्रभु पुत्र भैरु हि. 1/32, बद्री पुत्र गुलाब हि. 1/12, भगवान राम पुत्र गंगल्या हि. 1/8, भौरिया पुत्र रामसुखा हि. 1/12, रामनिवास पुत्र गिरधारी हि. 1/48, रामसहाय पुत्र भैरु हि. 1/32, लाल पुत्र रामसुखा हि. 1/12, श्रवण लाल पुत्र गिरधारी हि. 1/48, सीताराम पुत्र गिरधारी हि. 1/48 जाति गीणा सा. बाढ टीलावाला खातेदार

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 मे उल्लेखित कृषि भूमि पर 17.06.1999 से पूर्व की कॉलोनीयों मे स्वप्रेरणा से अथवा स्थानीय निकाय द्वारा संदर्भित करने पर धारा 90-ए (8) की कार्यवाही करने का प्रावधान है। 17.06.1999 के पश्चात की कॉलोनीयों मे धारा 91 सहपटित धारा 90ए (5) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90क एवं तद्धीन बनाये गये राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि को गैर कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा आवंटन) नियमन 2012 के नियम 4 मे किये गये संशोधन के अन्तर्गत भूखण्डधारी/विकास समिति के प्रार्थना पत्र अथवा निकाय के संदर्भित से स्वप्रेरणा से कार्यवाही करने का अधिकार होने से इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञापित प्रकाशन के 7 दिवस मे कमरा न. 306, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय मे कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक... 08.07.2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

8/7/22

नवि
प्राधिकृत अधिकारी
उपायुक्त, जयपुर
जविप्रा, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/101945

दिनांक: 07/07/2022

लोक सूचना

श्री VIJAY GOYAL पुत्र श्री GOVIND NARAIAN GOYAL जाति MAHAJAN निवासी 75/27, TAGORE LANE MANSROVAR SHIPRA PATH JAIPUR RAJ.

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	रामपुरा उर्फ कंवरपुरा, सांगानेर (जयपुर)	VIJAY GOYAL	625	700	0.07
कुल					0.07

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 07-07-2022 को जारी की गयी।

उपायुक्त जोन-14
प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

25/7/22

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/101946

दिनांक: 07/07/2022

लोक सूचना

श्री VIJAY GOYAL पुत्र श्री GOVIND NARAIAH GOYAL जाति MAHAJAN निवासी 75/27, TAGORE LANE MANSROVAR SHIPRA PATH JAIPUR RAJ.

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	रामपुरा उर्फ कंवरपुरा, सांगानेर (जयपुर)	VIJAY GOYAL	625/3	600	0.06
कुल					0.06

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 07-07-2022 को जारी की गयी।

उपायुक्त जोन-14
प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर

R-857
8/7/22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक- जविप्रा/उपा./जोन-12/22/डी- 1769

दिनांक 07-7-2022

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क),
जविप्रा, जयपुर।

विषय:-90ए की लोक सूचना व सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण 90ए (सुओमोटो) की लोक सूचना व सार्वजनिक सूचना संलग्न प्रारूप अनुसार लोक सूचना व सार्वजनिक सूचना 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन कराया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र में प्रति अद्योहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय में उपलब्ध कराने का श्रम करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रो/र-8/22
8/7/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-क(8) के अन्तर्गत

संख्या.....0-1769

दिनांक.....

07-7-2022

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण शंकर भवन निर्माण सहकारी समिति की योजना फूल नगर के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर/बीघा/बिस्वा)	स्वामित्व
ग्राम निवारू तहसील जयपुर।	481	0.6070 हैक्टेयर में से 1 बीघा 5 बिस्वा	कोयली पत्नि लड्डू हिस्सा 1/8 सा. देह खातेदार प्रभात पुत्र लड्डू हिस्सा 1/8 जाति माली सा. देह खातेदार। सूरज सैनी पुत्र लड्डूराम हिस्सा 1/8 जाति माली सा. देह खातेदार। सुरेश पुत्र लड्डू हिस्सा 1/8 सा. देह खातेदार।
	482	0.4300 हैक्टेयर में से 1 बीघा 5 बिस्वा	नन्हीलाल पुत्र चौथ्या हिस्सा 1/2 जाति माली सा. देह खातेदार। नानूराम पुत्र चौथ्या हिस्सा 1/2 जाति माली सा. देह खातेदार।
कुल किता	2	1.03700 हैक्टेयर में से 2 बीघा 10 बिस्वा	

नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प17(1)नवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.9.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस में कमरा न. 312, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय में कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 07-7-2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी
जोन-12

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/101232

दिनांक: 28/06/2022

लोक सूचना

पप्पूलाल पुत्र राधाकिशन जाति मीना निवासी-डाबर की ढाणी, रामपुरा/कंवरपुरा, रामपुराउंती, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का मोटल प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1	रामपुराउंती सांगानेर (जयपुर)	पप्पूलाल पुत्र राधाकिशन जाति मीना सा.देह.	2101/2038	5350	0.5350
कुल					0.5350

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **28-06-2022** को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

१४ नवम्बर २०२२



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2022/डी-1391

दिनांक

8/3/2022

प्रस्तावित उपान्तरण

प्रार्थी श्री पंकज वतवानी पुत्र श्री बलराम वतवानी के पक्ष में भूखण्ड संख्या 152 योजना राठौड़ नगर (श्री छत्रपति शिवाजी गृ.नि.स.स.) का नाम हस्तान्तरण पत्र क्रमांक: डी- 764 दिनांक 17.05.2022 को जारी है। नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू- उपयोग परिवर्तन नियम-2010 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू- उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम- 2021 के बिन्दु संख्या - 2 के उपबिन्दु संख्या iv के क्रम में भू- उपयोग परिवर्तन आवासीय से मास्टर प्लान/ जोनल प्लान में दर्शित मिश्रित भू उपयोग प्रयोजनार्थ किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त भूखण्ड के पूर्व की ओर- भूखण्ड संख्या 153, पश्चिम की ओर - भूखण्ड संख्या 151, उत्तर की ओर- रोड 80 फीट तथा दक्षिण की ओर- भूखण्ड संख्या 133 स्थित है।

कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था इस सूचना को दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से 7 दिवस की कालावधि के भीतर उपरोक्त भू- उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव निम्न हस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त कालावधि में आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। सूचित रहे।

यह विज्ञापित आज दिनांक 8/3/2022 को जारी की गई।

Sd.
उपायुक्त जोन-7
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1/ जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

Sd.
उपायुक्त जोन-7
जविप्रा, जयपुर।
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा/जोन-5/2022/डी- 2012

दिनांक :- 7/7/22

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नियमन/नाम हस्तान्तरण/फ्री होल्ड पट्टा विलेख हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नियमन/नाम हस्तान्तरण/फ्री होल्ड पट्टा विलेख जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहें।

क्र. सं.	ऑन लाईन आवेदन सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	—	ई-97	राम नगर विस्तार	श्रीमती गीता सोमवंशी पत्नी श्री आर सी सोमवंशी	श्रीमती विद्युत लता कुलश्रेष्ठ पत्नी श्री सुरेश चन्द्र कुलश्रेष्ठ	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अपंजीकृत वसीयतनामा
2.	—	505 ए	शांति नगर	श्रीमती हंसा देवी पत्नी श्री राधश्याम शर्मा	श्रीमती हंसा देवी पत्नी श्री राधश्याम शर्मा	मूल दस्तावेज गुम होने बाबत
3.	109772	8	मंगल विहार	श्रीमती लक्ष्मी दुबे पत्नी श्री सन्तोष दुबे	श्री अमर सिंह दुगड़ पुत्र श्री सी. एम. दुगड़ एवं श्री अनुराग दुगड़ व अमीष दुगड़	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयतनामा
4.	—	बी-19	श्याम नगर	श्रीमती जाह्नवी काबरा पत्नी श्री अविनाश काबरा एवं श्रीमती स्नेहा काबरा पत्नी श्री केशव काबरा	श्रीमती रश्मि कुच्छल पत्नी श्री शशी कुच्छल	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर, जयपुर में समझौता पत्र निष्पादित होने पर
5.	—	बी-13 ए	स्कीम 10 बी	श्री मुन्ना लाल गोयल पुत्र श्री गोवर्धन लाल गोयल	श्रीमती नीना रूंगटा पत्नी श्री राजेन्द्र रूंगटा	मूल पट्टा विलेख गुम होने के कारण
6.	108806	जी-24	नन्दपुरी	श्रीमती सुधा गुप्ता पत्नी स्व. श्री सुदर्शन गुप्ता	श्री सुदर्शन गुप्ता पुत्र श्री बाबू लाल गुप्ता	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयतनामा
7.	41682	51	गीजगढ़ विहार	श्री सुभाष चन्द हिम्मतारामका पुत्र स्व. श्री महावीर प्रसाद हिम्मतारामका	श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री बाबू लाल	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र
8.	107264	10	महेश नगर विस्तार बी	श्रीमती चन्द्रकला शर्मा पत्नी श्री तुलसी प्रसाद शर्मा	श्रीमती चन्द्रकला शर्मा पत्नी श्री तुलसी प्रसाद शर्मा	मूल पट्टा विलेख गुम होने के कारण
9.	107501	64	रावजी का बाग	श्रीमती रणु कंवर पत्नी स्व. श्री रमेश सिंह	श्री सज्जन सिंह पुत्र श्री पूरण सिंह	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र

उपायुक्त जोन-5

प्रतिलिपि:-

- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-5

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-2563234) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {8250} : फैक्स - +91-141-2574555

जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर
प्रारूप 13
{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क (8) के अन्तर्गत

संख्या 81-1392

दिनांक 08/07/2022

लोकसूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्नवर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 31/12/2021 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्तभूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् दारा सूचित किया जाता है, कि आप की सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण विभिन्न गृ.नि.स.स.लि. की योजनाओं शिव कॉलानी, मोती नगर, शारदा कॉलानी, विद्युत नगर, गुरु जम्भेश्वर नगर, नित्यानन्द नगर, ग्रीन कॉलानी, के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8)के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए (5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्नवर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर)	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
बीड़ खातीपुरा	222	5.0586	1. डॉ. मोहम्मद हबीब पुत्र मास्टर मुस्ताक अहमद जाति मुसलमान हिस्स पूर्ण 2.
	222 / 264	5.0586	1. डॉ. लाल भाई माधवला सिंघवी प्रिंसीपल मेडिकल कॉलेज जयपुर हिस्सा- 1/2 खातेदार 2. श्रीमती सुनलाल भाई सिंघवी पत्नी लाल भाई माधव लाल सिंघवी हिस्सा- 1/2 जाति- सिंघवी सा. जयपुर खातेदार
	222 / 265	17.0556	1. अजय कुमार पुत्र मोतीलाल जैन हिस्सा- 226589719/461593468 जाति- जैन सा. देह खातेदार 2. गोरधन सिंह पुत्र दुल्हाराम हिस्सा- 5/1351 जाति- जाट सा. देह खातेदार 3. बिमिला देवी पत्नी मोतीलाल जैन हिस्सा- 226589719/461593468 जाति- जैन सा. देह खातेदार 4. यशपाल सिंह पुत्र दुल्हाराम हिस्सा- 5/1351 जाति जाट सा. देह खातेदार 5. रामदेव सिंह उर्फ छोटू पुत्र दुल्हाराम हिस्सा- 5/1351 जाति - जाट सा. देह खातेदार 6. लक्ष्मण सिंह पुत्र दुल्हाराम हिस्सा- 5/1351 जाति जाट

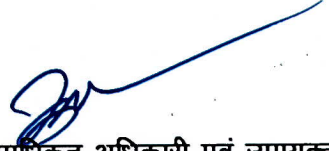
प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखनेवाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा नं. पी बी-एसएफ-218 डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुनर्ग्रहित किया जा सकेगा।

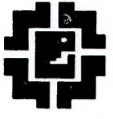
नोटिस आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

sd
प्राधिकृत अधिकारी एवं
उपायुक्त
जोन-07 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

2. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, ज.वि.प्रा., जयपुर को भेज कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवा कर अद्यो हस्ताक्षर कर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।


प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-07 जविप्रा, जयपुर



जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

जयपुर विकास प्राधिकरण, जोन-07, जयपुर

01393

मामला सं. 28 (सूओमोटो) और वर्ष 2022

अध्यक्ष, आम्रपाली विकास समिति ब्लॉक बी.डी. एवं जी. धाऊवास, अजमेर रोड़, जयपुर

आवेदक

विषय:-राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

दिनांक 8-7-22

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं:-

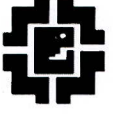
11. उपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन निम्नलिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन आम्रपाली नगर ब्लॉक बी.डी. एवं जी. के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है:-

राजस्व ग्राम, तहसील और जिले का नाम	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)	खसरा नं.	कुल रकबा (हैक्टेयर)
ग्राम धावास तहसील जयपुर	1. शारदा देवी पत्नी सरदार हिस्सा-17/116 2. महेश कुमार पुत्र सरदार हिस्सा-33/232 3. मुकेश कुमार पुत्र सरदार हिस्सा-33/232 4. चन्दा पुत्री सरदार हिस्सा - 49/348 5. राजू पुत्री सरदार हिस्सा - 49/348 6. साधना पुत्री सरदार हिस्सा - 49/348 7. अशोक कुमार पुत्र सरदार हिस्सा - 17/116	17/1	कुल रकबा 1.4670 हैक्टेयर में से 0.7550 हैक्टेयर
ग्राम धावास तहसील जयपुर	1. सतीश पुत्र रामसहाय हिस्सा - 1/3 2. गोपाल सिंह पुत्र रामसहाय हिस्सा - 1/3 3. महेन्द्र पुत्र रामसहाय हिस्सा - 1/3	17/2	0.0506 हैक्टेयर (सम्पूर्ण)
ग्राम धावास तहसील जयपुर	1. नानूराम पुत्र हरलाल हिस्सा - 1/2 2. प्रेमनारायण पुत्र हनुमानसहाय हिस्सा - 1/6 3. दुर्गासहाय पुत्र हनुमानसहाय हिस्सा - 1/6 4. गोपाललाल पुत्र हनुमानसहाय हिस्सा -1/6	32	कुल रकबा 4.3757 हैक्टेयर में से 0.6900

12. मास्टर प्लान-2025 में उक्तभूमि का भू उपयोग आवासीय दर्शित है।

13. आवेदक ने आवेदन के साथ जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, अभिन्यास योजना, विक्रय विलेख और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

14. मौके पर आम्रपाली नगर ब्लॉक बी.डी. एवं जी. बसी हुई है। कालोनी का पी. टी. सर्वे कराया गया है।



15. खसरा नं. 17/1, 17/2, व 32 ग्राम धाऊवास की भूमि गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने के कारण प्रकरण में नियमानुसार सहमति टिप्पणी/आपत्ति 7 दिवस में भिजवाने बाबत इस कार्यालय के क्रमांक डी-402 दिनांक 25.02.2022 के द्वारा पत्र मय लोकसूचना भिजवायी गयी थी परन्तु इस संबंध में तहसीलदार, जयपुर से आपत्ति/ सुझाव/ टिप्पणी प्राप्त हो चुकी हैं। उक्त खसरे की जमाबन्दी अनुसार राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि) भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ अनुज्ञा एवं आवंटन नियम 2012 के अध्याय 3 'क' में वर्णित नियम 13 के तहत जारी लोकसूचना दैनिक समाचार पत्र दैनिकभास्कर में दिनांक 21.05.2022 में प्रकाशन करवाकर समस्त आपत्तियों का निस्तारण कर दिया गया।
16. यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिवृत्ति अधिनियम की धारा 63 और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिवृत्ति अधिकार निर्वापित करके भूमि का **आम्रपाली नगर ब्लॉक बी.डी. एवं जी.** आवासीय योजना प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।
17. अतः आदेश दिया जाता है कि खसरा सं. 17/1, 17/2, व 32 ग्राम धाऊवास में जमाबन्दी में अंकित समस्त खातेदार **ग्राम धाऊवास** तहसील जयपुर में स्थित भूमि पर आवेदक/ आवेदक गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत सदस्यतासूची में अंकित के अभिवृत्ति अधिकारों को उक्त भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित कियाजायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमिको, उक्तभूमि का आवेदक गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत सदस्यता सूची में अंकित व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आबंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।
18. क्रमसंख्या 01 की तालिका में विहित शेष खातेदारान का हिस्सा बदस्तूर रहेगा।
19. इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक/सदस्यता सूची में उल्लेखित व्यक्तियों द्वारा पालना की जायेगी।
20. संलग्न तरमीम नक्शा अनुसार।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 8-7-22 को पारित किया गया।

Sd/
प्राधिकृत अधिकारी

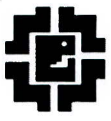
सं. 1388

दिनांक 8-7-22

प्रतिसूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी-

4. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. तहसीलदार, जयपुर तहसील को पूर्वोक्त भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।
6. संबंधित खातेदार.....
(रजिस्टर्ड पोस्ट से)

[Signature]
प्राधिकृत अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन-7/2022/डी-1393

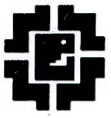
दिनांक: 08/07/2022

आम सूचना

प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के तहत जोन-7 के क्षेत्राधिकार में स्थित नेहरू गृ.नि.स.स. की योजना-आम्रपाली नगर (खसरा नम्बर 17/1, 17/2, 32 ग्राम धावास) का नियमन शिविर लगाया जाना प्रस्तावित है। योजना के भूखण्डधारियों की सूची निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	भूखण्डधारी का नाम	पिता/पति का नाम	ब्लॉक	भूखण्ड संख्या
1.	जोगेन्द्र सिंह	स्व. श्री दुर्गादान चौहान	G-	1
2.	आर.आर.वी. बिल्डकान एलएलपी		G-	1ए
3.	आर.आर.वी. बिल्डकान एलएलपी		G-	2
4.	आर.आर.वी. बिल्डकान एलएलपी		G-	3
5.	सुभद्रा रांधड़	श्री सत्यनारायण रांधड़	G-	4
6.	शेरोन जेम्स वर्गीस	श्री के. जेम्स वर्गीस	G-	5
7.	सुधा शर्मा	श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा	G-	6
8.	मीतू सिंह		G-	7
9.	नीरा अग्रवाल		G-	8
10.	रमेश कुमार वर्मा	श्री भगवान सहाय वर्मा	B-	226
11.	कालू वर्मा	श्री भगवान सहाय वर्मा	B-	225
12.	रमेश कुमार वर्मा	श्री भगवान सहाय वर्मा	B-	208
13.	कालू वर्मा	श्री भगवान सहाय वर्मा	B-	207
14.	शंकर लाल	श्री आशुराम	B-	209
15.	रमेश कुमार वर्मा	श्री भगवान सहाय वर्मा	B-	206
16.	रमेश कुमार वर्मा	श्री भगवान सहाय वर्मा	B-	205
17.	ओजस्व अग्रवाल	श्री अमित गुप्ता	D-	77ई
18.	स्नेहा अग्रवाल	श्री अमित गुप्ता	D-	78
19.	ओजस्व अग्रवाल	श्री अमित गुप्ता	D-	84
20.	सुनीता यादव	श्री सुरेन्द्र यादव	D-	80
21.	सुनीता यादव	श्री सुरेन्द्र यादव	D-	79
22.	कृष्णा यादव	श्री सुरेन्द्र यादव	D-	81
23.	कृष्णा यादव	श्री सुरेन्द्र यादव	D-	82
24.	कृष्णा यादव	श्री सुरेन्द्र यादव	D-	83
25.	मनोज लाहोटी	श्री इन्द्र चन्द्र लाहोटी	D-	85
26.	मनोज लाहोटी	श्री इन्द्र चन्द्र लाहोटी	D-	86
27.	धीरेश कुमार सैनी	प्रहलाद कुमार सैनी	D-	87
28.	नोनिहाल सिंह बुगालिया	श्री नौरंग राम बुगालिया	D-	88
29.	ऋषि मिगलानी	श्री केवल मिगलानी	D-	89
30.	अमित कुकरेजा	श्री हरीश कुकरेजा	D-	90

उपायुक्त जोन-7



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

31.	शीला चौधरी	श्री संदीप चौधरी	D-	91
32.	शीला चौधरी	श्री संदीप चौधरी	D-	92
33.	शीला चौधरी	श्री संदीप चौधरी	D-	93
34.	श्यामा देवी	श्री कन्हैयालाल अग्रवाल	D-	94
35.	श्यामा देवी	श्री कन्हैयालाल अग्रवाल	D-	95
36.	के. जेम्स वर्गीस (M/s Ebenezer Construction Co. PVT. LTD.)		D-	96
37.	अर्जुन दहलान	भगवान दहलान	D-	97
38.	स्वाति चौधरी	श्री हरि सिंह चौधरी	D-	98
39.	मंजू जैन	श्री हरीश मेहता	D-	99
40.	श्यामा देवी	श्री कन्हैयालाल अग्रवाल	D-	100

अतः उपरोक्त के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था व हितधारी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर-219 में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने की दशा में जविप्रा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगा।

Set,

उपायुक्त जोन -7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय

[Signature]
उपायुक्त जोन -7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/101949

दिनांक: 08/07/2022

लोक सूचना

केडिया लेण्डमार्क एलएलपी जरिये पार्टनर निर्मल केडिया पुत्र श्री शिव कुमार केडिया पंजीकृत कार्यालय - दुकान नं. 10,11 प्रथम फ्लोर, गणेश नगर, 6-ए, बेनाड रोड, नाडी का फाटक के पास, जयपुर

मोहन लाल वर्मा पुत्र शंकर लाल वर्मा जाति- बलाई सा. रोड के पास, खिरवा खेडी, मिलक, जयपुर

नानूराम पुत्र पांचूराम जाति- जाट सा. देह, बोदूराम पुत्र पांचूराम जाति- जाट सा. देह

नानूराम पुत्र पांचू राम जाति- जाट सा.देह, बोदूराम पुत्र पांचू राम जाति- जाट सा.देह रामस्वरूप पुत्र पांचूराम जाति- जाट सा.देह

गंगासहाय पुत्र कल्याण जाति- जाट सा. देह घासीलाल पुत्र कल्याण जाति- जाट सा. देह, मोहन पुत्र कल्याण जाति- जाट सा. देह

कानाराम पुत्र रामचन्द्र जाति- जाट सा. देह, प्रभातीदेवी पत्नि स्व. रामचन्द्र जाति- जाट सा. देह, बद्रीनारायण पुत्र रामचन्द्र जाति- जाट सा. देह, सूरजमल पुत्र रामचन्द्र जाति- जाट सा. देह, सुवालाल पुत्र रामचन्द्र जाति- जाट सा. देह

जगदीश पुत्र श्योकराण जाति- जाट सा.देह, नवीन पुत्र हनुमानसहाय जाति- जाट सा.देह बादामदेवी पत्नि हनुमान जाति- जाट सा. देह

बाबुलाल पुत्र श्योकराण जाति- जाट सा.देह, सुनील पुत्र हनुमानसहाय जाति- जाट सा.देह, सुशीलादेवी पत्नि जगदीश जाति- जाट सा.देह

अनिता पुत्री नानू जाति- जाट सा.देह, कमलीदेवी पत्नि नानू जाति- जाट सा.देह, भूरा पुत्र जगन्नाथ जाति- जाट सा.देह, मदनलाल पुत्र कालु जाति- जाट सा.देह, ममता पुत्री नानू जाति- जाट सा.देह, मोती पुत्र जगन्नाथ जाति- जाट सा.देह, राकेश कुमार पुत्र नानू जाति- जाट सा.देह, रामनाथ पुत्र जगन्नाथ जाति- जाट सा.देह, श्योजीराम पुत्र कालु जाति- जाट सा.देह, श्रवणकुमार पुत्र कालु जाति- जाट सा.देह

अनिता पुत्री नानू जाति-जाट सा.देह, कमलीदेवी पत्नि नानू जाति- जाट सा.देह, कानाराम पुत्र रामचन्द्र जाति- जाट सा. देह, जगदीश पुत्र श्योकराण जाति- जाट सा.देह, नवीन पुत्र हनुमान सहाय जाति- जाट सा.देह, नानूराम पुत्र पांचू राम जाति- जाट सा. देह, प्रभातीदेवी पत्नि स्व. रामचन्द्र जाति- जाट सा. देह, बद्रीनारायण पुत्र रामचन्द्र जाति- जाट सा. देह, बादामदेवी पत्नि हनुमान जाति- जाट सा.देह, बाबुलाल पुत्र श्योकराण जाति- जाट सा.देह, बोदूराम पुत्र पांचू राम जाति- जाट सा.देह, भूरा पुत्र जगन्नाथ जाति- जाट सा.देह, मदनलाल पुत्र कालु जाति- जाट सा.देह, ममता पुत्री नानू जाति- जाट सा.देह, मोती पुत्र जगन्नाथ जाति- जाट सा.देह, राकेश कुमार पुत्र नानू जाति- जाट सा.देह, रामनाथ पुत्र जगन्नाथ जाति- जाट सा.देह, रामस्वरूप पुत्र पांचूराम जाति- जाट सा.देह, श्योजीराम पुत्र कालु जाति- जाट सा.देह, श्रवणकुमार पुत्र कालु जाति- जाट सा.देह, सुनील पुत्र हनुमान सहाय जाति- जाट सा.देह, सूरजमल पुत्र रामचन्द्र जाति- जाट सा. देह, सुवालाल पुत्र रामचन्द्र जाति- जाट सा. देह, सुशीलादेवी पत्नि जगदीश जाति- जाट सा.देह

अनिता पुत्री नानू जाति- जाट सा.देह, कमलीदेवी पत्नि नानू जाति- जाट सा.देह, कानाराम पुत्र रामचन्द्र जाति- जाट सा. देह, गंगासहाय पुत्र कल्याण जाति- जाट सा.देह, घासीलाल पुत्र कल्याण जाति- जाट सा.देह, जगदीश पुत्र श्योकराण जाति- जाट सा. देह नवीन पुत्र हनुमान सहाय जाति- जाट सा.देह, नानूराम पुत्र पांचू राम जाति- जाट सा.देह, प्रभातीदेवी पत्नि स्व. रामचन्द्र जाति- जाट सा. देह, बद्रीनारायण पुत्र रामचन्द्र जाति- जाट सा. देह, बादामदेवी पत्नि हनुमान जाति- जाट सा.देह, बाबुलाल पुत्र श्योकराण जाति- जाट सा.देह, बोदूराम पुत्र पांचू राम जाति- जाट सा.देह, भूरा पुत्र जगन्नाथ जाति- जाट सा.देह, मदनलाल पुत्र कालु जाति- जाट सा.देह, ममता पुत्री नानू जाति- जाट सा.देह मोती पुत्र जगन्नाथ जाति- जाट सा.देह, मोहन पुत्र कल्याण जाति- जाट सा.देह, राकेश कुमार पुत्र नानू जाति- जाट सा.देह, रामनाथ पुत्र जगन्नाथ जाति- जाट सा.देह, रामस्वरूप पुत्र पांचूराम जाति- जाट सा.देह, श्योजीराम पुत्र कालु जाति- जाट सा.देह, श्रवणकुमार पुत्र कालु जाति- जाट सा.देह, सुनील पुत्र हनुमान सहाय जाति- जाट सा. देह, सूरजमल पुत्र रामचन्द्र जाति- जाट सा. देह, सुवालाल पुत्र रामचन्द्र जाति- जाट सा. देह, सुशीलादेवी पत्नि जगदीश जाति- जाट सा.देह

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	महापुरा सांगानेर (जयपुर)	केडिया लेण्डमार्क एलएलपी पंजीकृत कार्यालय - दुकान नं. 10,11 प्रथम फ्लोर, गणेश नगर, 6-ए, बेनाड रोड, नाडी का फाटक के पास, जयपुर	1547	200	0.02
			1548	2800	0.28
			1549	3000	0.30
			1550	2200	0.22
			1551	2300	0.23

(हस्ताक्षर)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			1552	2300	0.23
			1553	2400	0.24
			1554	100	0.010
			1555	1600	0.16
2	चतारपुरा उर्फ लात्या का वास सांगानेर (जयपुर)	कोडिया लेण्डमार्क एलएलपी पंजीकृत कार्यालय - दुकान नं. 10,11 प्रथम फ्लोर, गणेश नगर, 6-ए, बेनाड रोड, नाडी का फाटक के पास, जयपुर मोहन लाल वर्मा पुत्र शंकर लाल वर्मा हिस्सा- पूर्ण जाति- बलाई सा. रोड के पास, खिरवा खेडी, मिलक, जयपुर	338	14500	1.45
			526 / 335	350	0.0350
			336	9700	0.97
			725 / 335	10664	1.0664
			723 / 334	8025	0.8025
			724 / 335	3436	0.3436
		नानूराम पुत्र पांचूराम हिस्सा- 1/2 जाति- जाट सा. देह बोदूराम पुत्र पांचूराम हिस्सा- 1/2 जाति- जाट सा. देह	550 / 415	210	0.0210
			596 / 416	2145	0.2145
			548 / 415	405	0.0405
			549 / 415	2712	0.2712
		नानूराम पुत्र पांचू राम हिस्सा- 1/3 जाति- जाट सा.देह, बोदूराम पुत्र पांचू राम हिस्सा- 1/3 जाति- जाट सा. देह	569 / 382	500	0.05
			574 / 347	421	0.0421
			580 / 348	1636	0.1636
			595 / 416	454	0.0454
		रामस्वरूप पुत्र पांचूराम हिस्सा- 1/3 जाति- जाट सा.देह	601 / 417	416	0. 1880 में से रकया 0.0416 हैक्ट
			618 / 380	2000	0.20
			622 / 381	500	0.05
			626 / 383	1200	0.12
			639 / 418	1459	0.1459
			663 / 360	1593	0.1593
			669 / 380	450	0.0450
			673 / 418	500	0.05
			674 / 334	950	0.0950
			570 / 382	75	0.04 मे से रकया 0.0075 हैक्ट
3	चतारपुरा उर्फ लात्या का वास सांगानेर (जयपुर)	गंगासहाय पुत्र कल्याण हिस्सा- 1/3 जाति- जाट सा. देह घासीलाल पुत्र कल्याण हिस्सा- 1/3 जाति- जाट सा. देह			

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

4	चतुरपुरा उर्फ लात्या का वास सांगानेर (जयपुर)	मोहन पुत्र कल्याण हिस्सा 1/3 जाति जाट सा. देह	543/415	90	0.0220 में से रकबा 0.0090
		कानाराय पुत्र रामचन्द्र हिस्सा 1/5 जाति जाट सा. देह	566/382	55	0.0310 में से 0.0055 हैक्ट.
		प्रभातीदेवी पत्नि स्व. रामचन्द्र हिस्सा 1/5 जाति जाट सा. देह	589/386	44	0.06 में से 0.0044 हैक्ट.
		बदीनाराम पुत्र रामचन्द्र हिस्सा 1/5 जाति जाट सा. देह, सुखमल पुत्र रामचन्द्र हिस्सा 1/5 जाति जाट सा. देह, सुखलाल पुत्र रामचन्द्र हिस्सा 1/5 जाति जाट सा. देह			
			620/381	173	0.09 हैक्ट में से रकबा 0.0173 हैक्ट.
			624/383	36	0.0330 में से रकबा 0.0036 हैक्ट
			628/384	82	0.0680 में से रकबा 0.0082 हैक्ट.
			629/384	20	0.0280 में रकबा 0.0020 हैक्ट.
			632/385	4	0.0265 में से रकबा 0.0004 हैक्ट.
			633/385	33	0.0450 में से रकबा 0.0033 हैक्ट.
5	चतुरपुरा उर्फ लात्या का वास सांगानेर (जयपुर)		665/368	122	0.18 से रकबा 0.0122 हैक्ट.
		जगदीश पुत्र श्योकराण हिस्सा- 5197/15796 जाति जाट सा.देह	361	300	0.03
		नवीन पुत्र हनुमानराहाय हिस्सा- 43/3949 जाति- जाट सा.देह	546/415	2631	0.2631
		वादागदेवी पत्नि हनुमान हिस्सा- 595/3949 जाति जाट सा.देह	547/415	485	0.0485
		बाबुलाल पुत्र श्योकराण हिस्सा- 154/359 जाति जाट सा.देह	638/418	1600	0.16
		सुनील पुत्र हनुमानराहाय हिस्सा- 43/3949 जाति जाट सा.देह	656/358	123	0.0350 में से 0.0123 हैक्ट.

[Handwritten Signature]

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

		सुशीलादेवी पत्नि जगदीश हिस्सा- 1099/15796 जाति जाट सा.देह	659/359	150	0.0150
			662/360	1960	0.23 में से रकया 0.1960 हैक्ट.
			672/418	500	0.05
			697/418	400	0.04
6	चतरपुरा उर्फ लाल्या का बास सांगानेर (जयपुर)	अनिता पुत्री नानू हिस्सा- 545/19694 जाति- जाट सा.देह कमलीदेवी पत्नि नानू हिस्सा- 545/19694 जाति- जाट सा.देह, भूरा पुत्र जगन्नाथ हिस्सा- 5527/9847 जाति- जाट सा.देह, मदनलाल पुत्र कालु हिस्सा- 359/9847 जाति- जाट सा.देह, ममता पुत्री नानू हिस्सा- 545/19694 जाति- जाट सा.देह, गोती पुत्र जगन्नाथ हिस्सा- 2153/19694 जाति- जाट सा.देह, राकेश कुमार पुत्र नानू हिस्सा- 545/19694 जाति- जाट सा.देह, रामनाथ पुत्र जगन्नाथ हिस्सा- 2153/19694 जाति- जाट सा.देह, श्याजीराम पुत्र कालु हिस्सा- 359/9847 जाति- जाट सा.देह, श्रवणकुमार पुत्र कालु हिस्सा- 359/9847 जाति- जाट सा.देह	544/415	164	0.15 में से रकया 0.0164
			545/415	179	0.0787 में से रकया 0.0179 हैक्ट.
			567/382	1687	0.1687
			568/382	42	0.04 में से रकया 0.0042 हैक्ट.
			590/386	30	0.0582 में से रकया 0.0030 हैक्ट.
			621/381	1555	0.1555
			625/383	220	0.2555 में से रकया 0.0220 हैक्ट.
			630/384	68	0.0757 में से रकया 0.0068
			634/385	16	0.0363 में से रकया 0.0016 हैक्ट.
			666/368	94	0.0378 में से रकया 0.0094 हैक्ट.
7	चतरपुरा उर्फ लाल्या का बास सांगानेर (जयपुर)	अनिता पुत्री नानू हिस्सा- 37/3031 जाति- जाट सा.देह कमलीदेवी पत्नि नानू हिस्सा- 40/3031 जाति- जाट सा.देह कानाराम पुत्र रामचन्द्र हिस्सा- 151/3031 जाति- जाट सा. देह	551/415	1250	0.1250
			572/382	127	0.0127
			597/416	371	0.0371



कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

		जगदीश पुत्र श्योकरण हिस्सा- 40/433 जाति जाट सा.देह नवीन पुत्र हनुमान सहाय हिस्सा- 6/3031 जाति जाट सा.देह नानूराम पुत्र पांचू राम हिस्सा- 36/433 जाति जाट सा.देह प्रभातीदेवी पत्नि रव. रामचन्द्र हिस्सा- 22/433 जाति- जाट सा. देह बद्रीनारायण पुत्र रामचन्द्र हिस्सा- 151/3031 जाति- जाट सा. देह बादागदेवी पत्नि हनुमान हिस्सा- 137/3031 जाति- जाट सा.देह बाबुलाल पुत्र श्योकरण हिस्सा- 292/3031 जाति- जाट सा.देह बोदूराम पुत्र पांचू राम हिस्सा- 36/433 जाति- जाट सा.देह भूरा पुत्र जगन्नाथ हिस्सा- 22/433 जाति- जाट सा.देह मदनलाल पुत्र कालु हिस्सा- 50/3031 जाति- जाट सा.देह ममता पुत्री नानू हिस्सा- 37/3031 जाति- जाट सा.देह मोती पुत्र जगन्नाथ हिस्सा- 151/3031 जाति- जाट सा.देह राकेश कुमार पुत्र नानू हिस्सा- 37/3031 जाति- जाट सा.देह रामनाथ पुत्र जगन्नाथ हिस्सा- 151/3031 जाति- जाट सा.देह रामस्वरूप पुत्र पांचूराम हिस्सा- 253/3031 जाति- जाट सा.देह श्योजीराम पुत्र कालु हिस्सा- 50/3031 जाति- जाट सा.देह श्रवणकुमार पुत्र कालु हिस्सा- 51/3031 जाति- जाट सा.देह सुनील पुत्र हनुमान सहाय हिस्सा- 6/3031 जाति- जाट सा.देह सूरजमल पुत्र रामचन्द्र हिस्सा- 151/3031 जाति- जाट सा. देह सुबालाल पुत्र रामचन्द्र हिस्सा- 151/3031 जाति- जाट सा. देह सुशीलादेवी पत्नि जगदीश हिस्सा- 37/3031 जाति- जाट सा.देह			
8	चतरपुरा उर्फ लात्या का बास सांगानेर (जयपुर)	अनिता पुत्री नानू हिस्सा- 61/6152 जाति- जाट सा.देह कमलीदेवी पत्नि नानू हिस्सा- 15/1538 जाति- जाट सा.देह कानाराम पुत्र रामचन्द्र हिस्सा- 243/6152 जाति- जाट सा. देह गंगासहाय पुत्र कल्याण हिस्सा- 427/6152 जाति- जाट सा.देह घासीलाल पुत्र कल्याण हिस्सा- 427/6152 जाति- जाट सा.देह जगदीश पुत्र श्योकरण हिस्सा- 56/769 जाति- जाट सा.देह नवीन पुत्र हनुमान सहाय हिस्सा- 5/3076 जाति- जाट सा.देह नानूराम पुत्र पांचू राम हिस्सा- 203/3076 जाति- जाट सा.देह प्रभातीदेवी पत्नि रव. रामचन्द्र हिस्सा- 123/3076 जाति- जाट सा. देह बद्रीनारायण पुत्र रामचन्द्र हिस्सा- 243/6152 जाति- जाट सा. देह	623/381 527/335 571/382 592/386 627/383 631/384 635/385 664/360 667/368 675/334	345 550 276 118 415 183 122 507 422 1250	0.0345 0.055 0.0276 0.0118 0.0415 0.0183 0.0122 0.0507 0.0422 0.1250



कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

	वाचागदेवी पत्नि हनुमान हिस्सा- 101/3076 जाति- जाट सा.देह बाबुलाल पुत्र शयोकरण हिस्सा- 56/769 जाति- जाट सा.देह बोडूशम पुत्र पांचू राम हिस्सा- 203/3076 जाति- जाट सा.देह भूरा पुत्र जगन्नाथ हिस्सा- 245/6152 जाति- जाट सा.देह मदनलाल पुत्र कालु हिस्सा- 81/6152 जाति- जाट सा.देह ममता पुत्री नानू हिस्सा- 61/6152 जाति- जाट सा.देह मोती पुत्र जगन्नाथ हिस्सा- 243/6152 जाति- जाट सा.देह गोहन पुत्र कल्याण हिस्सा- 107/1538 जाति- जाट सा.देह राकेश कुमार पुत्र नानू हिस्सा- 15/1538 जाति- जाट सा.देह रामनाथ पुत्र जगन्नाथ हिस्सा- 243/6152 जाति- जाट सा.देह रामस्वरूप पुत्र पांचूराम हिस्सा- 203/3076 जाति- जाट सा.देह शयोजीराम पुत्र कालु हिस्सा- 81/6152 जाति- जाट सा.देह श्रवणकुमार पुत्र कालु हिस्सा- 81/6152 जाति- जाट सा.देह सुनील पुत्र हनुमान सहाय हिस्सा- 5/3076 जाति- जाट सा.देह सूरजमल पुत्र रामचन्द्र हिस्सा- 243/6152 जाति- जाट सा. देह सुवालाल पुत्र रामचन्द्र हिस्सा- 243/6152 जाति- जाट सा. देह सुशीलादेवी पत्नि जगदीश हिस्सा- 25/1538 जाति- जाट सा.देह			
कुल				10.00

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिवृत्ति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिवृत्ति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **08-07-2022** को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर